फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

मनभरी बनाम रामेश्वर वगै0

किस्म मुकदमा   प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा   मु.न.   123/22

तारीख हुक्म		नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19.09.2022	प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र मय दस्तावेजों की नकलो की छाया प्रतिया संलग्न कर जरियें प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की प्रा0 अस्थाई निषेधाज्ञा के अंतरिम अनुतोष पर एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस का मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो की छायाप्रतियों का अवलोकन किया गया हमने प्रथम दृष्टया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस से संतुष्ट होकर यह पाया कि प्राईमा फैसी केस , सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का सिद्वान्त प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थीगणो को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । अतः अप्रार्थीगणों को इस आशय कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके रामा ग्राम अगावली तहसील बहरावण्डा जिला दौसा के ख0न0 64, 65, 66, 69, 82 में आगामी पेशी तक प्रतिवादी रामेश्वर के हिस्से में से 7/8 हिस्से की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाएं रखे। अप्रार्थीगणों की तलवी रजिस्टर्ड एडी से की जावे, यदि आगामी पेशी तक पक्षकारान की तलबी पेश नहीं की जाती है तो जारी अन्तरिम अस्थाई निषे0 आदेश स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर नियत दिनांक 30.11.2022 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	
30/11/22	पत्रावली पेश हुई, वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा. राज्य कार्य में व्यस्त, दौरे पर होने से जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 11/1/23 को पेश हो।	

8/1/23 मूल वाद में प्रार्थना पत्र [illegible] पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मूल वाद का निस्तारण किया जा चुका है अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली कैफियत मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2023.02.21 11:09:18 IST
Reason: SelfAttested